संलग्नक–

भारत सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा पूर्व में लगायी गयी शर्तो के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ.सी.–सी.–407, दिनांक– 23.05.1995 एवं इसके कम में अनु सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या– जी.आई. 159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी । जिसकी लीज अवधि दिनांक– 31.03.2013 को समाप्त हो चुकी है । दिनांक– 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट को उक्त प्रयोजन हेतु बिकी/हस्तान्तरण के आधार पर दे दिया जाय । उक्त के परिणामस्वरूप मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर दी गयी उक्त 3.79 हे. वन भूमि का उपयोग मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा किया जाने लगा । उक्त के दौरान ही मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट , माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के कम्पनी पेटिशन संख्या– 5/2015 व 6/2015 में दिनांक– 24.11.2015 व माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0(इन्दौर बेंच) के आदेश दिनांक– 09.10.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. में समाहित हो चुकी है । इस कारण प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा करते हुए नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत है । चुकी प्रश्नगत वन भूमि पर पूर्व से पम्प हाउस,पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन निर्मित है जिसको की मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को मूल प्रयोजन हेतु ही आवश्यकता है । इस संबंध में पूर्व में लगायी गयी समस्त शर्तो का अनुपालन मूल पट्टाधारक/ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा किया गया है/किया जा रहा है ।

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)